

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची ।

दिनांक-22वीं जुलाई 2021

सेवा में,

MS Keshavam Developers,  
Near Lafarge Cement Godown Jhounsagarhi,  
Deoghar.

विषय:- गौजा-झौसागढी, प्लॉट नं0-TPP.- 73 & 74 (Part), खाता नं0-606, 866/1, 606/2, 606/3, वार्ड नं0-23, थाना-582, जिला-देवघर में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय ब्लॉक I & II भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-379 दिनांक-28.06.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय ब्लॉक I & II भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवनों परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले एक अदद ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओवरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवनों के ब्लॉक के दोनों स्टेयरकेश तथा ब्लॉक-II के मुख्य स्टेयरकेश लॉडियों में 150mm डायामेटर का एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 36 मी0 लम्बा होज रील होज, 63MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवनों के चारों तरफ एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवनों के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो। भवन के बेसमेन्ट में मानक के अनुरूप पाटीशन की व्यवस्था की जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. भवनों के उपर एक अदद टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसकी क्षमता 900 Lpm से कम न हो।
9. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. भवनों में NBC मानक के अनुरूप Refuge area का निर्माण किया जाय।
11. भवनों के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
12. उपर्युक्त भवनों के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।

KESHAVAM DEVELOPERS

*Pankaj Pankaj*

PARTNER

KESHAVAM DEVELOPERS

*Tarun Kumar Sultana*

PARTNER

